राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(30)नविवि/जनरल/2014 जयपुर, दिनांक 14 OCT 2014

आयुक्त/सचिव,
समस्त विकास प्राधिकरण/
नगर सुधार न्यास/आवासन मण्डल।

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सिविल रिट याचिका 400/2012 के द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिये गठित एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर अभिमत दिये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सिविल रिट याचिका 400/2012 के द्वारा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियो को आवास सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में लेख है कि योजनाओं में भूखण्ड का आवंटन राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम–1974 के नियम–17 में आवंटन किया जाता है।

आवास योजनाओं के आवंटन के संबंध में जो फार्म/आवेदन पत्रों का प्रकाशन किया जाता है, उन आवेदन पत्रों के प्रारूपों में आवेदक/प्रार्थी का Gender पूछा जाता है। उक्त प्रारूपो में पुरूष/स्त्री के स्थान पर पुरूष/स्त्री/अन्य लिखा जावे। अन्य में ट्रांसजेण्डर को भी स्त्री एवं पुरूष के समान एक वर्ग मानते हुए आवंटन की कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग, जयपुर।
2. सचिव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. सयुक्त शासन सचिव–प्रथम नविवि।
4. उप शासन सचिव–द्वितीय नविवि।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय